न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 65/2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)
[redacted] पुत्र मंगल जाति जाटव निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना जिला [redacted]।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.10.18 तहसीलदार बयाना मि0सं0 38/2018 राजस्थान सरकार बनाम यादवचन्द (91 एलआर एक्ट)

उपस्थित :

1. श्री पुष्पेन्द्र गुर्जर वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 28.12.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनांक 23.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश में सम्बत 2075 में ग्राम खेडलीगडासिया की चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 2255 एकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से चरी बो कर अपीलान्ट यादवचन्द का अतिक्रमण सिद्ध होने पर अपीलान्ट पर लगान राशि 2.56 रूपये का पचास गुना राशि 128 रूपये की शास्ती आरोपित करते हुये मौके से बेदखल कर सामग्री आदि को कुर्क कर नीलाम करने साथ ही गत सम्वत में भी उपरोक्त राजकीय भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किये जाने के परिणामस्वरूप पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से भी अपीलान्ट को दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। वह कि अपीलान्ट की आराजी ग्राम खेडली गडासिया तहसील बयाना में

[redacted] सटी हुई चारागाह भूमि है। प्रार्थी की भूमि अत्याधिक कम सीमा में [redacted] लघु कृषक की परिधि में आता है । प्रार्थी के पिता मंगल के विरूद्ध [redacted] अतिक्रमण भूमि चारागाह पर प्रकरण दर्ज किये गये जो माननीय राजस्व [redacted] अजमेर में दिनांक 23.3.1996 को निर्णय पारित कर निगरानी अपीलान्ट [redacted] करते हुये प्रकरण को जिला कलक्टर भरतपुर को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित [redacted] गया जिस पर न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 15.4.1998 [redacted] पुनः निर्णय पारित कर तहसीलदार बयाना को प्रतिप्रेषित किया गया। तत्पश्चात [redacted] तहसीलदार बयाना ने दिनांक 28.12.1998 को निर्णय पारित कर नियमन हेतु किस्म [redacted] परिवर्तन कर एसडीओ बयाना को भूमि आवंटन/नियमन हेतु प्रेषित की गई। जिसकी पालना में कोई कार्यवाही न कर यह विवादित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.10.2018 पारित कर दिया जिससे सख्त हकतलफी पैदा हो रही है। अपीलान्ट सामान्य कृषक परिवार से जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की संज्ञा में नहीं आता है। पटवारी द्वारा बिना किसी आधार के गलत रिपोर्ट तहत अदालत में प्रस्तुत की है। अपीलान्ट को समुचित साक्ष्य/सुनवाई/जबाब का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है। केवल नोटिस जारी कर निर्णय पारित कर दिया है। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि आदेशिका दिनांक 27.9.2018 के अनुसार पत्रावली जांच रिपोर्ट में लम्बित थी तथा पेशी 23.10.2018 नियत की गई थी पत्रावली अन्तिम बहस में नियत नहीं थी बाबजूद इसके तहत अदालत ने मनमानी तरीके से अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 पारित कर दिया गया है जो काबिल मंसूखी है। इसके अलावा तहत पत्रावली पर अपीलान्ट के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके। इसके अलावा तहत पत्रावली पर अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व अतिक्रमण/बेदखली कार्यवाही से संबधित ऐसा कोई साक्ष्य सबूत या रिकार्ड ही उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके। एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्यान्तों के विपरीत भी है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कोई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था । पटवारी

[redacted] के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही [redacted] राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका [redacted] को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ [redacted] द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है । अपीलान्ट के हक में आज [redacted] उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं हुआ है यह भूमि चारागाह भूमि है [redacted] काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन [redacted] की नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। [redacted] राजकीय चारागाह भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि भी है। [redacted] तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजूदा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से खसरा नम्बर 2255/0.16 हैक्टेयर किस्म चारागाह वाकै खेडलीगडासिया पर अपीलान्ट द्वारा फसल चरी बोकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 28.12.2018 से भी स्पष्ट होता है। शपथ–पत्र के अनुसार अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबध में यह सुनिश्चित है कि विगत वर्षों में मौके से वेदखली होने पर ही इस वर्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण कहलायेगा। जिसे साबित करने में पैरोकार सरकार असफल रहे है चूंकि अपीलान्ट के विरूद्ध विगत वर्षों के अतिक्रमण/बेदखली संबधी रिकार्ड तहत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं पाया गया हैं । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को केवल सजा की हद तक निरस्त किया जाना उचित रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सशर्त–आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार बयाना को प्रतिप्रेषित की जाती है कि बाद जांच यदि मौके पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया हो तो ही अपीलाधीन आदेश 23.10.2018 केवल सजा की हद तक निरस्त रहेगा अन्यथा अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को सुनाया गया।